A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 182/2025

बीरबल सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी तेतरा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
––रेस्पोडेन्ट

––––

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 16.06.2025 न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा, बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम बीरबल सिंह, मुकदमा नं0 150/2024 अ0धारा 91 एल0आर0 एक्ट

––––

उपस्थित :–

1. श्री अनवार हसन खान, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.05.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, मण्डावा के आदेश दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तेतरा द्वारा रघुवीर सिंह की शिकायत पर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम तेतरा मे स्थित भूमि ख0न0 109 रकबा 0.11 हैक्टर गै0मु0 रास्ता मे से 50 वर्गमीटर भूमि पर गैरसायल/अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल/अपीलान्ट को धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा अपीलान्ट की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। मामले मे बिना बहस सुने ही दिनांक 16.06.2025 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई है। वजुहात अपील निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.06.2025 खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह अतिक्रमण है ही नही। शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के परिवार के 10–15 घर अर्थात शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के पूर्वजों के समय से भी पुख्ता मकानात् बनाकर आबाद है तथा सभी भाईयों के बीच मे छोटा सार्वजनिक चौक रखा हुआ है जिसके बीच से होता हुआ सभी का रास्ता है जो आम सडक पर निकलकर आता है तथा अपीलान्ट का मकान जिसको अतिक्रमण माना गया है व शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह का मकान दोनों का मकान बराबर मे है। शिकायतकार्ता अपीलान्ट के सगे भाई का लडका है तथा दोनों के ही रास्ते शामिल मे शामिलाती चौक मे जाकर मैन रोड पर आकर मिल जाता है तथा शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह के एक आम रास्ता दूसरा भी पीछे की साईड मे आसकर मैन रोड पर मिल जाता है। इस प्रकार महज रघुवीर सिंह को फायदा देने के लिए हल्का पटवारी ने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रघुवीर सिंह से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर गौर नही कर आदेश पारित मे अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के मकान के साथ–साथ अपीलान्ट के अन्य भाईयों के मकानात् भी बने हुए है तथा शिकायतकर्ता के भी मकान बने हुए है सब एक ही जगह बने हुए है। मौके पर तथाकथित रास्ता सैकडों वर्षो से देखने मे नही आया है। अपीलान्ट व शिकायतकर्ता के घर के आगे व पीछे दोनो तरफ रास्ते लग रहे है। शिकायतकर्ता तीसरा रास्ता लेना चाहता है जिसके लिए हल्का पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है जिस पर गौर न फरमाकर उक्त आदेश पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा अगर मौका देखा जाता है तो अपीलान्ट को कोई ऐतराज नही है। मौका देखने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। और प्रार्थी के साथ न्याय हो सकेगा। शिकायतकर्ता के पास आम सडक पर आने के लिए आगे व पीछे दो रास्ते है जो अपीलान्ट के घर के रास्ते के बेहतर रास्ते है फिर भी शिकायतकर्ता अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए पटवारी से मिलकर उक्त रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे भारी कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले मे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। मामले मे बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत का निर्णय इललिगल परवर्स एवं विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा दिनांक 16.06.2025 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह अतिक्रमण है ही नही। शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के परिवार के 10–15 घर अर्थात शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के पूर्वजों के समय से भी पुख्ता मकानात् बनाकर आबाद है तथा सभी भाईयों के बीच मे छोटा सार्वजनिक चौक रखा हुआ है जिसके बीच से होता हुआ सभी का रास्ता है जो आम सडक पर निकलकर आता है तथा अपीलान्ट का मकान जिसको अतिक्रमण माना गया है व शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह का मकान दोनों का मकान बराबर मे है। शिकायतकार्ता अपीलान्ट के सगे भाई का लडका है तथा दोनों के ही रास्ते शामिल मे शामिलाती चौक मे जाकर मैन रोड पर आकर मिल जाता है तथा शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह के एक आम रास्ता दूसरा भी पीछे की साईड मे आसकर मैन रोड पर मिल जाता है। इस प्रकार महज रघुवीर सिंह को फायदा देने के लिए हल्का पटवारी ने रघुवीर सिंह से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर गौर नही कर आदेश पारित मे अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के मकान के साथ–साथ अपीलान्ट के अन्य भाईयों के मकानात् भी बने हुए है तथा शिकायतकर्ता के भी मकान बने हुए है सब एक ही जगह बने हुए है। मौके पर तथाकथित रास्ता सैकडों वर्षो से देखने मे नही आया है। अपीलान्ट व शिकायतकर्ता के घर के आगे व पीछे दोनो तरफ रास्ते लग रहे है। शिकायतकर्ता तीसरा रास्ता लेना चाहता है जिसके लिए हल्का पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है जिस पर गौर न फरमाकर उक्त आदेश पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा अगर मौका देखा जाता है तो अपीलान्ट को कोई ऐतराज नही है। मौका देखने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। और प्रार्थी के साथ न्याय हो सकेगा। शिकायतकर्ता के पास आम सडक पर आने के लिए आगे व पीछे दो रास्ते है जो अपीलान्ट के घर के रास्ते के बेहतर रास्ते है फिर भी शिकायतकर्ता अपीलान्ट को तंग व

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

परेशान करने के लिए पटवारी से मिलकर उक्त रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे भारी कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले मे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। मामले मे बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत का निर्णय इललिगल परवर्स एवं विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा दिनांक 16.06.2025 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम तेतरा के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 50 वर्गमीटर भूमि पर टीनशेड डालकर भूमि मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को तेतरा के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 50 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की जांच नहीं की और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसके सभी पहलुओं की जांच कर तथा पक्षकारों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर किया जाना ही न्यायोचित है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 16.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे ग्राम पंचायत के पट्टे की सत्यता की जांच करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं